न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 259/2022   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/308**
दायर दिनांक :– 02.09.2022   **निर्णय दिनांक :– 02.12.2024**

1. भूरी पत्नी जाने खां जाति सिन्धी निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. अर्जुनराम पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
3. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
4. कविता पुत्री छोगाराम उर्फ प्रभूदयाल जाति विश्नोई नि. ढेलाणा तह. लोहावट जिला फलोदी
5. चुतराराम पुत्र कृष्णचन्द जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
6. जयराम पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
7. झीमा पत्नी बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
8. पूजा पुत्री छोगाराम उर्फ प्रभूदयाल जाति विश्नोई नि. ढेलाणा तह. लोहावट जिला फलोदी
9. प्रेमनारायण पुत्र छोगाराम उर्फ प्रभूदयाल जाति विश्नोई नि. ढेलाणा तह. लोहावट जिला फलोदी
10. फरसाराम पुत्र कृष्णचन्द जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
11. महीराम पुत्र कृष्णचंद जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
12. रेखा पुत्री छोगाराम उर्फ प्रभूदयाल जाति विश्नोई नि. ढेलाणा तह. लोहावट जिला फलोदी
13. रामनारायण पुत्र छोगाराम उर्फ प्रभूदयाल जाति विश्नोई नि. ढेलाणा तह. लोहावट जिला फलोदी
14. रामेश्वरी पत्नी छोगाराम उर्फ प्रभूदयाल जाति विश्नोई नि. ढेलाणा तह. लोहावट जिला फलोदी
15. विस्णुराम पुत्र कृष्णचन्द जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
16. संगीता पुत्री छोगाराम उर्फ प्रभूदयाल जाति विश्नोई नि. ढेलाणा तह. लोहावट जिला फलोदी
17. हरीराम पुत्र कृष्णचंद जाति विश्नोई निवासी ढेलाणा तहसील बाप जिला फलोदी
18. इलियास खांन पुत्र दावदखांन जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी
19. बसीर खान पुत्र दावदखांन जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

02.12.24

सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2/1545 रकबा 7.3329 हैक्टेयर सरहद मौजा रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया है और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है। प्रार्थी का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। नजरी नक्शा संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ता 19 ने पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थी को सूचित किये बिना सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 2/1545 रकबा 7.3329 हैक्टेयर भूमि के नक्शा में विधि विरूद्व एंव कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त किया जावे जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 19 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2 में से नामान्तरकरण संख्या 63 के द्वारा रकबा 101–03 बीघा भूमि लालदीन पुत्र मोहम्मद खां को रेगूलर हुई थी। इसके पश्चात ग्राम रोला के नामान्तरकरण संख्या 39 द्वारा लालदीन पुत्र मोहम्मद कौम मुसलमान की मृत्यु पश्चात जीमयत पुत्री लालदीन के नाम दर्ज हुई। जीमयत द्वारा उक्त भूमि सुमार खां पुत्र मिश्रीखां व जमाल खां मिश्रीखां को बेचान कर दी शेष बची हुई भूमि पर भूरी पत्नी जानेखां को बेचान कर दी। उक्त आवंटन भूमि वर्तमान में अलग अलग खसरा नम्बर 2/1545 भूरी पत्नी जानेखां, हीरा पत्नी भैराराम, खसरा नम्बर 2/1550 सुमारखां पुत्र मिश्रीखां के नाम खसरा नम्बर 2/1551 जमालखां पुत्र मिश्रीखां के नाम रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी ऑनलाईन तरमीम लगती हो रखी है। मौके पर सुमारखां व जमालखां द्वारा नलकूप खुदवाकर काश्त की जा रही है व भूरी पत्नी जानेखां द्वारा तरमीम को अन्य जगह करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो उचित नहीं है। इस संबंध में पैराकार सरकार के जवाब एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के

02.12.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आधार पर तरमीम दुरूस्त की जानी उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.12.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)